

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2018–19

22.03.2021

विधानसभा की स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति को संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा संवीक्षा पूर्व  
एवं संवीक्षा टिप्पणी उपरान्त अनुपालना/क्रियान्विति हेतु बकाया अनुच्छेदों की सूची:-

क्र. स.	विभाग का नाम	अध्याय संख्या	संवीक्षा पूर्व पालना अप्राप्त	संवीक्षा उपरान्त पालना/क्रियान्विति अप्राप्त
1	पंचायती राज संस्थाएँ	1 2 3 10	—	1.3.1(1), 1.3.2(1), 1.3.3(1), 1.3.4(1)  2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.6.1, 2.6.2  3.1, 3.2, 3.3  10.2(1)
2	शहरी स्थानीय निकाय	1 4	<b>4.5.1</b> (न.नि.कोटा, न.प.टोंक, न.पा.निम्बाहेडा, सूरजगढ, कपासन, राजगढ(चुरु), कुम्हेर, उदयपुरवाटी, फतहनगर, तिजारा), <b>4.5.2</b> (न.नि.कोटा, न.प.डुंगरपुर, बून्दी, दौसा, न.पा.निम्बाहेडा, कपासन, राजगढ(चुरु), राजगढ (अलवर), सलूम्बर, पदमपुर), <b>4.5.3</b> (न.नि.कोटा, भरतपुर, न.प.दौसा, न.पा.सुमेरपुर, पिण्डवाडा, कुम्हेर, राजगढ(अलवर), <b>4.5.4</b> (न.प.टोंक, दौसा, भिवाडी, डुंगरपुर, न.पा.भीनमाल, राजगढ, निम्बाहेडा, श्रीमाधोपुर, बयाना, पदमपुर), <b>4.5.5</b> (न.नि.भरतपुर, न.प.टोंक, दौसा, बून्दी, न.पा.श्रीमाधोपुर, खुड़ालाघालना, गजसिंहपुर, राजगढ, सूरजगढ, सलूम्बर), <b>4.5.6</b> (न.नि.कोटा, भरतपुर), <b>4.5.7</b> (न.नि.अजमेर, न.प.डुंगरपुर, बून्दी, न.पा.आबूरोड, पिलानी, बांदीकुई, देवगढ, चिडावा, सूरजगढ), <b>4.5.8</b> (न.नि.	1.3.1(2), 1.3.2(2), 1.3.3(2), 1.3.4(2) 4.5.7(न.पा. आमेर), 4.5.10(न.पा. आमेर)

		5	अजमेर, न.प.बूंदी,टोंक, न.पा.पदमपुर,चिडावा), <b>4.5.9</b> (न.नि.अजमेर,कोटा,भरतपुर, न.प.टोंक,बूंदी,मिवाडी, न.पा.राजगढ,कुम्हेर,बांदीकुई,कपासन), <b>4.5.10</b> (न.नि.कोटा,भरतपुर, न.पा.फतहनगर,कुम्हेर,डीग), <b>4.6.1, 4.6.2</b> <b>5.1.1</b> (न.पा.फतहनगर(उदयपुर)), <b>5.1.2</b> (अ—निम्बाहेडा, ब—ब्यावर), <b>5.1.3</b> (न.प.ब्यावर), <b>5.1.5</b> (न.पा.बडीसादडी,देवगढ), <b>5.1.6, 5.1.7</b> (न.पा.छोटीसादडी), <b>5.2.1</b> (न.नि.जयपुर), <b>5.2.2</b> (न.नि.जयपुर), <b>5.2.3</b> (न.नि.जयपुर), <b>5.2.4</b> (न.पा.छोटीसादडी,जहाजपुर), <b>5.2.5, 5.2.6</b> (न.नि.जयपुर), <b>5.3.1</b> (न.पा.जोबनेर), <b>5.3.2</b> (अजमेर, न.पा.निम्बाहेडा), <b>5.4</b> —	5.1.4, 5.1.5(न.पा. आमेर), <b>5.2.5</b> (न.पा.बालोतरा,लाडनूरावतसर नगरपरिषद सीकर) 10.2(2)
3	शहरी विकास प्राधिकरण	1	—	1.3.1(3), 1.3.2(3),1.3.3(3),1.3.4(3)
	1.विकास प्राधिकरण	6	6.5.1, 6.5.2, 6.5.3(अजमेर), 6.6.1,(जोधपुर,अजमेर), 6.6.2 (जोधपुर,अजमेर),,	6.6.1(जयपुर),6.6.2(जयपुर), 6.7.1 (अ,ब,स,द,य,र,ल,व,श), 6.8.1 (अ,ब,स,द,य,र,ल,), 6.9.1(जयपुर)
	2.नगर विकास न्यास	7	7.5.4 ,7.7.1	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 7.5.6 (कोटा), 7.6.1, 7.6.2
	3.आवासन मण्डल	8 10	—	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3., 8.6.1,8.6.2, 10.2(3)
6	कृषि विपणन संस्थाएँ 1. कृषि उपज मण्डी समिति 2. कृषि विपणन बोर्ड	1 9	9.5.6,9.6.1,9.6.2	1.3.1(4), 1.3.2(4)(ii),1.3.3(4)(ii) 9.5.1,9.5.2,9.5.3,9.5.4,9.5.5,9.7.1 9.6.1, 9.6.2
7	अन्य संस्थाएँ	1	—	—
(i)	देवरथान विभाग	1	1.3.1(5)(i), 1.3.2(5)(i), 1.3.3(5)(i), 1.3.4(5)(i)	—
(ii)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1	1.3.1(5)(iii), 1.3.2(5)(iii), 1.3.3(5)(iii), 1.3.4(5)(iii),	—
(iii)	जिला महिला विकास अभिकरण	1	1.3.1(5)(iv),1.3.3(5)(iv)	—
(iv)	मुख्यमंत्री अकाल, बाढ सहायता कोष	1	—	1.3.1(5)(v), 1.3.2(5)(v),1.3.4(5)(v)

(v)	राजस्थान खादी बोर्ड	1	—	1.3.1(5)(vi), 1.3.2(5)(vi)
(vi)	विविध संस्थाएँ	1	1.3.1(5)(vii), 1.3.4(5)(vi),	1.3.2(5)(vi)
(vii)	जिला उद्योग केन्द्र	1		1.3.3(5)(v)
(viii)	इंदिरा गांधी पंचातयी राज संस्थान	1	1.3.3(5)(vi)	—
(ix)	राजस्थान साहित्य अकादमी	1	—	1.3.3(5)(vii)
(x)	राजस्थान पेंशनर्स रिलीफ फण्ड	1 10	1.3.1(5)(ii), 1.3.2(5)(ii), 1.3.3(5)(ii), 10.2(4)	—
(xi)	नियमित अंकेक्षण क्षैत्राधिकार से भिन्न संस्थाएँ	10	10.2(5)	—